सूचना का अधिकार

सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल–5
(खण्ड–1)
वर्ष 2011–12 से 2016 तक

निदेशालय
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

क्र0 सं0	पत्रांक संख्या/आदेश संख्या/दिनांक	विषय	पृष्ठ सं0
1.	पत्रांक /सेवा-3(4)/17545/चिकि0प्र0पू0/2014-15 दिनांक 11 दिसम्बर, 2014	श्री दर्शन सिंह नेगी, कन्ष्ठि सहायक, कार्य0-उप शिक्षा अधिकारी लोहाघाट, चम्पावत की पत्नी के प्रदेश से बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	1
2.	पत्रांक: सेवायें-3(4)/6019-23/चि0प्र0पू0/2015-16 दिनांक 22 जून, 2015	स्व0 श्री सुनील कुमार, परिचारक, रा0पू0मा0वि0 सेलाकुंई, देहरादून के प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार के सम्बन्ध में।	2
3.	पत्रांक: सेवायें-3(4)/26734/2015-16 दिनांक 31 दिम्बर 2015	श्री जगदीश सिंह, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 अल्मोड़ा के प्रदेश से बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति के सम्बन्ध में।	3
4.	पत्रांक: सेवायें-3(4)/31881-86/चि0प्र0पू0/2015-16 दिनांक 17 मार्च, 2016	श्री प्रभात कुमार, परिचारक, रा0पू0मा0वि0 सेवलांकला देहरादून की माता के प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	4
5.	पत्रांक: सेवायें-3(4)/6913-06/चि0प्र0पू0/2016-17 दिनांक 15 जून, 2016	श्री कमल किशोर नेगी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी एकेश्वर, पौड़ी के प्रदेश से बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	5-6
6.	पत्रांक: सेवायें-3/9513-20/चि0प्र0पू0/2016-17 दिनांक 23 जुलाई, 2016	स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह राणा, प्रधान सहायक, कार्यालय अपर निदेशक, प्रा0शि0 गढ़वाल मण्डल पौड़ी के प्रदेश से बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति एवं उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	7-8
7.	पत्रांक: सेवायें-3/12978-84/चि0प्र0पू0/2016-17 दिनांक 08 सितम्बर, 2016	स्व0 श्री राम प्रसाद, परिचारक, रा0उ0प्रा0वि0 खाण्ड, चम्बा, टिहरी गढ़वाल के प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	9-10
8.	पत्रांक: सेवायें-3/18583-90/चि0प्र0पू0/2016-17 दिनांक 23 नवम्बर, 2016	श्री कवीन्द्र सिंह रावत, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी कोटाबाग, नैनीताल के प्रदेश से बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति एवं उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	11-12

9.	पत्रांक संख्या- 505/XXIV(1)नवसृजित/2015-31/ XXXIV(1)14 बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून दिनांक 28 जनवरी, 2016	श्री पंकज बिष्ट पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र बिष्ट, परिचारक, रा0इ0का0 को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत कुमांऊ मण्डल में नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	13
10.	पत्रांक संख्या- 1214/XXIV(1)/2014-37/2005 शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) देहरादून दिनांक 16 जनवरी, 2015	सत्रान्त लाभ अवधि/अतिरिक्त सेवा लाभ अवधि में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित को सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	14
11.	पत्रांक संख्या- 182/XXIV(1)नवसृजित/2015-31/ XXXIV(1)14 बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून, दिनांक 27 नवम्बर, 2015	श्रीमती चम्पा देवी, पत्नी स्व0 श्री चन्द्र लाल टम्टा, निवासी टम्टा मोहल्ला, अल्मोड़ा को मृतक आश्रित के रूप में कुमांऊ मण्डल में सेवायोजित किये जाने विषयक।	15
12.	पत्रांक संख्या- 05/XXIV(1)/2015-31/2014 शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) देहरादून दिनांक 18 फरवरी, 2015	श्रीमती रीना रानी पत्नी स्व0 श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी, ग्राम-किशनपुर, पोस्ट भगवानपुर, जनपद -हरिद्वार को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।	16
13..	पत्रांक सेवा-3(4)/2645-59/2013-14 दिनांक 17 दिसम्बर, 2013	चतुर्थ श्रेणी के पदों पर मृतक आश्रितों की नियुक्ति के संबंध में।	17
14.	पत्रांक संख्या- 63/XXVII(7)/27(8)/2011 वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनु0-07 देहरादून दिनांक 05 जुलाई, 2011	राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी सवंर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण विषय शासनादेश संख्या 877/XXVII(7) च0श्रेणी0/2011 दिनांक 24 मार्च 2011 के प्रस्तर-3 में संशोधन।	18-19
15.	पत्रांक संख्या- 1114/XXX(2)/2013-55(08) 2002 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 10 अक्टूबर, 2013	मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित कार्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारण एवं उच्चतर पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।	20
16.	पत्रांक संख्या- 877/XXVII(7)च0श्रे0/2011 वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनु0-07 देहरादून दिनांक 24 मार्च, 2011	राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी सवंर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकृत के संबंध में।	21-22
17.	पत्रांक संख्या- /XXIV-2/2014-06(05)/2008 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 23 जनवरी, 2014	विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत महानिदेशालय स्तर से विकास खण्ड स्तर पर पुनर्गठित नवीन ढांचे के अनुसार मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के 10 पद से अधिक संख्या वाले कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारी का पद उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में।	23

18.	पत्रांक/सेवा-3(4)/3376-92/2012-13 दिनांक 24 अप्रैल, 2012	परिचारकों की रात्रि चौकीदारी के सम्बन्ध में।	24
19.	संख्या-1905(1)/XXX/(2)/2011 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 17 जनवरी, 2011	विकलांग सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नीति।	25
20.	उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग 2 संख्या 963/ XXX(2)/2011 देहरादून दिनांक 25 जुलाई, 2011	कार्यालय ज्ञाप	26
21.	**उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग- 2 संख्या 892/ XXX(2)/2013 55(42)2004 देहरादून दिनांक 13 अगस्त, 2013**	अधिसूचना प्रकीर्ण	27-29
22.	उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग- 2 संख्या 44/ XXX(2)/2013 देहरादून दिनांक 10 जनवरी, 2013	अधिसूचना	30
23.	उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग- 2 संख्या 44/ XXX(2)/2013-3(2)2010 देहरादून दिनांक 10 जनवरी, 2013	अधिसूचना प्रकीण	31
24.	उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग- 2 संख्या 155/ XXX(2)/2015-3(2)2010 देहरादून दिनांक 9 अप्रैल, 2015	अधिसूचना प्रकीण	32-35
25.	उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग- 2 संख्या 170/ XXX(2)/2011 देहरादून दिनांक 01 जून, 2011	अधिसूचना प्रकीण	36-38
26.	Government of Uttarakhand Karmik Section-2 No. 170/XXX(2)/2011 Dehradun Dated: 01/6, 2011	Notification Miscellaneous	39-40
27.	पत्रांक संख्या-373 /XXVII(7)27(2)/2013 वित्त (वे0आ0-सा0नि0)अनु0-07 देहरादून दिनांक 16 जनवरी, 2013	उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान संशोधन।	41-42
28.	पत्रांक संख्या-264 /XXVII(7)27(2)/2013 वित्त (वे0आ0-सा0नि0)अनु0-07 देहरादून दिनांक 17 अगस्त 2015	अधिसूचना प्रकीर्ण	43

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
चम्पावत

पत्रांक / सेवा–3(4) / 17545 / चिकि0प्र0पू0 / 2014–15 दिनांक 11 दिसम्बर 2014

विषयः– **श्री दर्शन सिंह नेगी, कनिष्ठ सहायक, कार्या0– उप शिक्षा अधिकारी लोहाघाट, चम्पावत की पत्नी के प्रदेश से बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक / बेसिक / 2436–37 / चि0प्र0पू0 / 2014–15 दिनांक 01 अक्टूबर 2014 द्वारा निदेशालय को प्राप्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रस्ताव के अनुक्रम में उत्तराखण्ड शासन शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) के पत्र संख्या M.R.140 / XXIV(1) / 2014 दिनांक 26 नवम्बर 2014 द्वारा श्री दर्शन सिंह नेगी, कनिष्ठ सहायक, कार्या0– उप शिक्षा अधिकारी लोहाघाट, चम्पावत की पत्नी के प्रदेश से बाहर चिकित्सा संस्थान लवी नर्सिंग होम एण्ड मैटरनिटी होम, रामपुर, उ0प्र0 में दिनांक 02.07.14 से 29.07.14 तक उपचार कराये जाने की दशा में कार्योत्तर अनुमति प्रदान की गई है। प्राप्त प्रकरण जिसकी धनराशि रू0 21753–00 (रू0 इक्कीस हज़ार सात सौ तिरेपन मात्र) है, शासनादेश दिनांक 04.09.2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार रू0 40,000 / – तक के स्वीकृत अधिकारी कार्यालयाध्यक्ष हैं।

अतः प्रकरण मूल रूप में इस आशय से प्रत्यावर्तित किया जा रहा है कि कृपया तदनुसार सम्बन्धित प्रकरण को स्वीकृत कर अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– 1. शासन की कार्योत्तर अनुमति।
2. समस्त बिल बाउचर मूल में।

भवदीय

(मोहन सिंह नेगी)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।

पत्रांकः सेवायें–3(4)/ 6019-23 /चि0प्र0पू0/2015–16 दिनांक 22 जून 2015

विषयः– **स्व0 श्री सुनील कुमार, परिचारक, रा0पू0मा0वि0 सेलाकुंई, देहरादून के प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के चिकित्सा अनुभाग–3 शासनादेश संख्या 679/ चि0–3–200–437/2002 दिनांक 04.09.2006 एवं उसके बाद निर्गत अन्य शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त स्व0 श्री सुनील कुमार, परिचारक, रा0पू0मा0वि0 सेलाकुंई, देहरादून का प्रदेश के भीतर एस.एम.आई.एच. हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 05.01.12 से 22.02.12 तक कराये गये उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सापेक्ष प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य संस्तुत धनराशि रू0 40524.00 (चालीस हजार पांच सौ चौबीस) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उक्त स्वीकृति शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृति धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यदि स्व0 श्री सुनील कुमार को प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में कोई अग्रिम अथवा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की धनराशि स्वीकृति की गई हो तो उक्त धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण सुनिश्चित किया जाय तथा अवशेष धनराशि को यथाशीघ्र कोषागार मे जमा कर दिया जाय।

3– उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय लेखाशीर्षक अनुदान संख्या–11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा 01– प्रारम्भिक शिक्षा, 101– प्राथमिक शिक्षा 04–बेसिक शिक्षकों का राजकीयकरण के मानक मद–27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

संलग्नकः– समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(सीमा जौनसारी)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पृ0सं0/ सेवा–3(4)/ 6019-23 /चि0प्र0पू0अधि0/2015–16 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3– वित्त नियन्त्रक विद्यालयी शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।
4– श्रीमती शकुन्तला पत्नी स्व0 श्री सुनील कुमार द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी सहसपुर, देहरादून।
5– कार्यालय गार्ड फाइल।

22/6/15

(सीमा जौनसारी)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,

पंजीकृत

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
अल्मोड़ा

पत्रांकः सेवायें–3(4)/26734 /2015–16 दिनांक 31 दिसम्बर 2015

विषयः– **श्री जगदीश सिंह, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 अल्मोड़ा के प्रदेश से बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः प्रा0शिक्षा/3171/चि0प्र0पू0/2015–16 दिनांक 26 अगस्त 2015 द्वारा निदेशालय को प्राप्त चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्रस्ताव के अनुकम में उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 के पत्र संख्याः 692/XXIV–5/2015(163)/2015 दिनांक 14 दिसम्बर 2015 द्वारा श्री जगदीश सिंह, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 अल्मोड़ा के प्रदेश से बाहर चिकित्सा संस्थान डॉ0 अतुल कुमार राय, न्यूरोमेडिकल सेण्टर चिकित्सा संस्थान, प्रा0लि0 लखनऊ, उ0प्र0 में दिनांक 12.03.15 से 17.04.15 तक उपचार कराये जाने की दशा में कार्योत्तर अनुमति प्रदान की गयी है। प्राप्त प्रकरण जिसकी धनराशि रू0 11530.00 (ग्यारह हजार पांच सौ तीस मात्र) है, शासनादेश दिनांक 04.09.2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार रू0 40,000/– तक के स्वीकृत अधिकारी कार्यालयाध्यक्ष हैं।

अतः प्रकरण मूल रूप में इस आशय से प्रत्यावर्तित किया जा रहा है कि कृपया तदनुसार सम्बन्धित प्रकरण को स्वीकृत कर अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– 1. समस्त बिल वाउचर मूल में।
2. शासन की कार्योत्तर अनुमति।

भवदीय

(जयवीर सिंह बिष्ट)
अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
देहरादून।

पत्रांकः सेवायें–3(4)/31881-86/चि0प्र0पू0/2015–16 दिनांक 17 मार्च 2016

विषयः– **श्री प्रभात कुमार, परिचारक, रा0पू0मा0वि0 सेवलांकला, देहरादून की माता के प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के चिकित्सा अनुभाग–3 शासनादेश संख्या 679/चि0–3–200–437/2002 दिनांक 04.09.2006 एवं उसके बाद निर्गत अन्य शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त श्री प्रभात कुमार, परिचारक, रा0पू0मा0वि0 सेवलाकलां, देहरादून की माता श्रीमंती भगवती देवी का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान सूर्या हॉस्पिटल, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून में दिनांक 27.01.13 से 04.02.13 तक कराये गये उपचार पर हुए चिकित्सा व्ययं प्रतिपूर्ति के सापेक्ष प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य संस्तुत धनराशि रू0 44,627.00 (चवालीस हजार छः सौ सत्ताईस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उक्त स्वीकृति शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृति धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यदि श्री प्रभात कुमार को प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में कोई अग्रिम अथवा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की धनराशि स्वीकृति की गई हो तो उक्त धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण सुनिश्चित किया जाय तथा अवशेष धनराशि को यथाशीघ्र कोषागार मे जमा कर दिया जाय।

3– उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय लेखाशीर्षक अनुदान संख्या–11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा 01– प्रारम्भिक शिक्षा, 101– राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04–बेसिक शिक्षा का राजकीयकरण के मानक मद– 00–27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

संलग्नकः– समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय,
17/3/16
(सीमा जौनसारी)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

पृ0सं0/ सेवायें–3(4)/31881-86 /चि0प्र0पू0/2015–16 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
3– वित्त नियन्त्रक विद्यालयी शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।
4– उप शिक्षा अधिकारी रायपुर, देहरादून।
5– प्रधानाध्यापक, रा0पू0मा0वि0 सेवलाकलां, देहरादून।
4– सम्बन्धित कार्मिक।
5– कार्यालय गार्ड फाइल।

(सीमा जौनसारी)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांकः सेवायें–3(4)/ 6913-88/चि0प्र0पू0/2016–17 दिनांक 15 जून 2016

विषयः– **श्री कमल किशोर नेगी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी एकेश्वर, पौड़ी के प्रदेश से बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः बेसिक/13795–96/सेवा 04/चि0प्रति0/2015–16 दिनांक 24 फरवरी 2016 के कम में निदेशालय के पत्रांकः सेवायें–3(4)/31900/2015–6 दिनांक 17 मार्च 2016 द्वारा श्री कमल किशोर नेगी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी एकेश्वर, पौड़ी के प्रदेश से बाहर चिकित्सा संस्थान तीरथ राम शाह चैरिटेबल हॉस्पिटल दिल्ली में दिनांक **25.05.15 से 04.06.15** तक कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने पर उत्तराखण्ड शासन, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग के पत्र संख्याः M.R 72/XXIV(1)2016/72/2016 दिनांक 01 जून 2016 द्वारा प्राप्त **कार्योत्तर अनुमति** के उपरान्त सम्यक् विचारोपरान्त चिकित्सा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 679/चि0–3–2006–437/2002 दिनांक 04.09.2006 एवं उसके बाद निर्गत अन्य शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री कमल किशोर नेगी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी एकेश्वर, पौड़ी का प्रदेश से बाहर कराये गये उपचार के दावों पर उक्त अवधि में हुए उपचार व्यय के सापेक्ष डॉ0 एस0 डी0 उनियाल, प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य संस्तुत धनराशि **रू0 52,150/–** (रू0 बावन हजार एक सौ पचास मात्र) के व्यय की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

2– उक्त स्वीकृति शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यदि श्री कमल किशोर नेगी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी एकेश्वर, पौड़ी को प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में कोई अग्रिम अथवा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की धनराशि स्वीकृति की गई हो तो उक्त धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण सुनिश्चित किया जाय तथा अवशेष धनराशि को यथाशीघ्र कोषागार मे जमा कर दिया जाय।

3– उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय अनुदान संख्या 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202– सामान्य शिक्षा, 01– प्रारम्भिक शिक्षा, 104– निरीक्षण, 05– उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के अन्तर्गत मानक मद–00–27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

संलग्नकः– प्रकरण मूल रूप में (बिल बाउचर सहित)।

भवदीय
15/6/16
(सीमा जौनसारी)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्याः सेवायें–3/ 6913-56 /2016–17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय।
3. अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
5. उप शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड एकेश्वर पौड़ी।
6. श्री कमल किशोर नेगी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी एकेश्वर, पौड़ी
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

15/6/16

(सीमा जौनसारी)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत/वाहक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पत्रांकः सेवायें–3/4513-20 / चि0प्र0पू0 / 2016–17 दिनांक 23 जुलाई 2016

विषयः– **स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह राणा, प्रधान सहायक, कार्यालय अपर निदेशक, प्रा0शि गढ़वाल मण्डल पौड़ी के प्रदेश से बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्त स्वीकृति एवं उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान कि जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः लेखा–स्था0 / 4840 / चि0प्रति0 / 2015–1 दिनांक 14 अक्टूबर 2015 के कम में निदेशालय के पत्रांकः सेवायें–3(4) / 30286 / 2015–6 दिनांक 23 फरवरी 2016 द्वारा शासन को सन्दर्भित प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड शासन, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग के पत्र संख्याः M.R 111 / 2016 / 38 / XXIV(1) / 2016 दिनांक 13 जुलाई 2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 679 / चि0–3–2006–437 / 2002 दिनांक 04.09.2006 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह राणा, प्रधान सहायक, कार्यालय अपर निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के प्रदेश से बाहर चिकित्सा संस्थान राजीव गांधी कैन्सर इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेण्टर, सेक्टर 5, रोहिणी, दिल्ली में दिनांक **13.10.13 से 26.10.13** तक कराये गये उपचार की **कार्योत्तर अनुमति** के साथ ही उक्त अवधि में हुये उपचार व्यय के सापेक्ष Director (M&H) Directorate M&H&F.W(UK) द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य संस्तुत धनराशि रू0 **1,65,904.00** (रू0 एक लाख पैंसठ हजार नौ सौ चार मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2– उक्त स्वीकृति शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यदि स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह राणा, प्रधान सहायक, कार्यालय अपर निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में कोई अग्रिम अथवा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की धनराशि स्वीकृति की गई हो तो उक्त धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण सुनिश्चित किया जाय तथा अवशेष धनराशि को यथाशीघ्र कोषागार मे जमा कर दिया जाय।

3– उक्त स्वीकृति धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय व्ययक की अनुदान संख्या 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202– सामान्य शिक्षा, 01– प्रारम्भिक शिक्षा, 104– निरीक्षण, 03– क्षेत्रीय निरीक्षण के अन्तर्गत मानक मद–00–27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

संलग्नकः– प्रकरण मूल रूप में (बिल बाउचर सहित)।

भवदीय
23/7/16

(सीमा जौनसारी)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्याः सेवायें–3/ 953-20 /2016–17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय।
3. अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 पौड़ी गढ़वाल।
6. श्रीमती विनीता देवी, पत्नी स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह राणा, ग्राम अमकोटी, पो0 पौड़ी, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

23/7/16

(सीमा जौनसारी)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
टिहरी गढ़वाल।

पत्रांकः सेवायें–3/ 12978-84/चि0प्र0पू0/2016–17 दिनांक 08 सितम्बर 2016

विषयः– **स्व0 श्री राम प्रसाद, परिचारक, रा0उ0प्रा0वि0 खाण्ड, चम्बा, टिहरी गढ़वाल के प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक/प्रबन्ध–3(ख)/3460–61/2016–17, दिनांक 29 जुलाई 2016 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के चिकित्सा अनुभाग–3 शासनादेश संख्या 679/चि0–3–200–437/2002 दिनांक 04.09.2006 एवं उसके बाद निर्गत अन्य शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त स्व0 श्री राम प्रसाद, परिचारक, रा0उ0प्रा0वि0 खाण्ड, चम्बा, टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान महन्त इन्द्रेश हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 30–09–2015 से 12–10–2015 तक कराये गये उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सापेक्ष मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीदेव सुमन, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य संस्तुत धनराशि रू0 58,480.00 (रूपये अठावन हजार चार सौ अस्सी मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उक्त स्वीकृति शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृति धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यदि स्व0 श्री राम प्रसाद को प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में कोई अग्रिम अथवा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की धनराशि स्वीकृति की गई हो तो उक्त धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण सुनिश्चित किया जाय तथा अवशेष धनराशि को यथाशीघ्र कोषागार मे जमा कर दिया जाय।

3– उक्त स्वीकृति धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय व्ययक की अनुदान संख्या–11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा 01– प्रारम्भिक शिक्षा, 101– राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04–बेसिक शिक्षा का राजकीयकरण के मानक मद–00–27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

संलग्नकः– समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय
8/9/16

(सीमा जौनसारी)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,

पृ0सं0 / सेवायें–3 / 12978-84 / चि0प्र0पू0 / 2016–17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।

2– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल।

3– वित्त नियन्त्रक विद्यालयी शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

4– उप शिक्षा अधिकारी चम्बा, टिहरी गढ़वाल।

5– प्रधानाध्यापक, रा0उ0प्रा0वि0 खाण्ड, चम्बा, टिहरी गढ़वाल।

4– श्रीमती बिन्दु देवी, पत्नी स्व0 श्री राम प्रसाद उनियाल, ग्राम फिपल्टी, पट्टी नैचोली, तहसील गजा, टिहरी गढ़वाल।

5– कार्यालय गार्ड फाइल।

8/8/16

(सीमा जौनसारी)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य शिक्षा अधिकारी
नैनीताल।

पत्रांकः सेवायें–3/ 18583:90 /चि0प्र0पू0/2016–17 दिनांक 23 नवम्बर 2016

विषयः– **श्री कवीन्द्र सिंह रावत, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी कोटाबाग, नैनीताल के प्रदेश से बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति एवं उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः सेवायें–अराज0–3/1500–1501/चि0प्रति0/2016–17 दिनांक 08.07.2016 एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी कोटाबाग, नैनीताल के पत्रांक/818/चि0प्रति0पू0/2016–17 दिनांक 05.09.2016 के क्रम में निदेशालय के पत्रांकः सेवायें–3/13564/2016–17 दिनांक 16 सितम्बर 2016 द्वारा शासन को सन्दर्भित प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 के पत्र संख्याः 613/XXIV–5/2016/15(133)/2016 दिनांक 30 सितम्बर 2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा **कार्योत्तर अनुमति** एवं पत्र संख्याः 640/XXIV–5/16–15(133)/2016 दिनांक 17 नवम्बर 2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री कवीन्द्र सिंह रावत, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 कोटाबाग, नैनीताल के प्रदेश से बाहर चिकित्सा संस्थान साकेत सिटी हॉस्पिटल दिल्ली में दिनांक **20.07.15 से 22.08.15** तक कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष महानिदेशक, चिकि0स्वा0 एवं प0क0 उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य संस्तुत धनराशि रू0 **11,53,968.00** (रू0 ग्यारह लाख तिरेपन हजार नौ सौ अड़सठ मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2– उक्त स्वीकृति शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यदि श्री कवीन्द्र सिंह रावत को प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में कोई अग्रिम अथवा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की धनराशि स्वीकृत की गई हो तो उक्त धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण सुनिश्चित किया जाय तथा अवशेष धनराशि को यथाशीघ्र कोषागार मे जमा कर दिया जाय।

3– धनराशि स्वीकृति करने से पूर्व इस बात का प्रमाण–पत्र आवेदक से प्राप्त कर लिया जाय कि उनके द्वारा यह चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा प्रथम बार भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है।

4– धनराशि का आहरण एवं भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वर्णित राशि की प्रतिपूर्ति पूर्व में नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में आहरण बिल के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाय।

5– उक्त स्वीकृति धनराशि का आय व्यय, अनुदान संख्या 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202– सामान्य शिक्षा, 01– प्रारम्भिक शिक्षा, 104– निरीक्षण, 05– विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के अन्तर्गत मानक मद–00–27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

संलग्नकः– प्रकरण मूल रूप में (बिल बाउचर सहित)।

भवदीय
23/11/16

(सीमा जौनसारी)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्याः सेवायें–3/ 10583-90 /2016–17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय।
3. अनु सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2016 एवं पत्र दिनांक 17 नवम्बर 2016 के कम में सूचनार्थ।
4. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी जनपद नैनीताल।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 नैनीताल।
6. खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी कोटाबाग, नैनीताल।
7. श्री कवीन्द्र सिंह रावत, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी कोटाबाग, नैनीताल।
8. कार्यालय गार्ड फाईल।

23/11/16

(सीमा जौनसारी)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

1665
1-2-16

संख्या–505 /XXIV(1) नवसृजित/2015–31/XXXIV(1)14

प्रेषक,

रंजना,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून : दिनाँक : 28 जनवरी, 2016

विषयः–श्री पंकज बिष्ट पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट, परिचारक, रा0इ0का0, को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत कुमांऊ मण्डल में नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्रांक सेवायें –3(4)/14307/2015–16 दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु प्रकरण विशेष में अन्य प्रतिबन्ध एवं शर्ते पूर्ण होते हों, तो श्री पंकज बिष्ट पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट, परिचारक , रा0इ0का0, को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर कुमायूँ मण्डल में मृतक आश्रित के रूप में रिक्ति के स्थान पर सेवायोजित किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराये।

भवदीया,
28/01/16
(रंजना)
अपर सचिव

AD(A) Kumaun
02.02.16

संख्या–1214 /XXIV(1)/2014–37/2005

प्रेषक,

डॉ0एम0सी0जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 16 ~~दिसम्बर, 2014~~ जनवरी, 2015

विषयः– सत्रान्त लाभ अवधि/अतिरिक्त सेवा लाभ अवधि में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित को सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याःप्रा0शि0–सेवायें–3(4)/13602/2014–15, दिनांक 11.11.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान स्थिति में सत्रान्त लाभ की सुविधा अवधि में निधन होने पर मृतक आश्रित के रूप में नियमानुसार सेवायोजित नहीं किया जा सकता है ।

भवदीय,

(डॉ0एम0सी0जोशी)
सचिव ।

1302
30-11-15

संख्या– 182 /XXIV(1)नवसृजित/2015–31/xxxiv(1)14.

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
उप सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून : दिनाँक :27 नवम्बर, 2015

विषयः–श्रीमती चम्पा देवी, पत्नी स्व0 श्री चन्द्र लाल टम्टा, निवासी टम्टा मोहल्ला, अल्मोड़ा को मृतक आश्रित के रूप में कुमांऊ मण्डल में सेवायोजित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्रांक सेवायें –3(4)/13641/2015–16 दिनांक 21 सितम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु प्रकरण विशेष में अन्य प्रतिबन्ध एवं शर्ते पूर्ण होते हों, तो श्रीमती चम्पा देवी, पत्नी स्व0 श्री चन्द्र लाल टम्टा, प्रधान सहायक राजकीय इण्टर कालेज, लोल्टी, चमोली निवासी टम्टा मोहल्ला अल्मोड़ा के प्रार्थना पत्र के आधार पर कुमायूँ मण्डल में मृतक आश्रित के रूप में रिक्ति के स्थान पर सेवायोजित किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराये।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव

30/11/15

1133
21/02/15

संख्या– 05 /XXIV(1)/2015–31/2014

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

DD-4
21/2/15

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 18 फरवरी, 2015

विषयः– **श्रीमती रीना रानी पत्नी स्व0 श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी, ग्राम– किशनपुर, पोस्ट भगवानपुर, जनपद–हरिद्वार को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः सेवायें–3 (4)/8177/ 2014–15, दिनांक 02.8.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु अन्य प्रतिबन्ध पूर्ण होते हों, तो **श्रीमती रीना रानी पत्नी स्व0 श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी को** प्रार्थना–पत्र के आधार पर गढ़वाल मण्डल में कनिष्ट लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव ।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

1–अपर निदेशक, प्रा0शि0 / मा0शि0,
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2–समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक सेवा–3(4) / 26145-59 / 2013–14 दिनांक 17 दिसम्बर, 2013

विषयः **चतुर्थ श्रेणी के पदों पर मृतक आश्रितों की नियुक्ति के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक सेवा–3(4) / 36867–83 / 2013–14 दिनांक 16 अगस्त, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शासन के पत्र सं0–611 / XXIV–2 / 11 / 27(10) / 2011 दिनांक 25 जुलाई, 2011 के साथ संलग्न शासनादेश संख्या–63 / XXVII(7)27(8) / 2011 दिनांक 05–7–2011 जो राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड़ वेतन के संशोधन / उच्चीकरण विषयक शासनादेश संख्या 877 / XXVII(7)च0श्रे0 / 2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 के प्रस्तर–3 में किये गये संशोधन से सम्बन्धित है, का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त शासनादेश में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि शासनादेश संख्या 877 / XXVII (7)च0श्रे0 / 2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 के प्रस्तर–3 में निहित प्राविधान उत्तराखण्ड(उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित भर्ती नियमावली, 1974) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अन्तर्गत समूह "घ" के पदों पर की जाने वाली नियुक्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी अर्थात् राजकीय विभागों के मृतक आश्रित के रूप में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियाँ पूर्व की भाँन्ति होंगी। जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0) देहरादून के पत्र दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 द्वारा मृतक आश्रित के रूप में चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में पृच्छा की गई है। अतः उक्त शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार सम्बन्धित प्रकरणों पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मोहन सिंह नेगी)
अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

संख्या: 63 /XXVII(7)27(8)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:05 जुलाई, 2011

विषय:–राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण विषय शासनादेश संख्या:877/XXVII(7)च0श्रेणी0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 के प्रस्तर–3 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:877/XXVII(7)च0श्रेणी0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–(III) में यह व्यवस्था की गयी है कि "₹1800/– की ग्रेड पे पर कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्वतः समाप्त होते जायेगें अर्थात समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए सम्प्रति उपलब्ध ₹1800/– ग्रेड पे का एक मात्र पद डाईंग कैडर होगा। भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती/नियुक्ति नहीं की जायेगी।" उपरोक्त विषय में विभिन्न स्रोतों से यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की जा रही है कि उक्त व्यवस्था उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली,1974) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश,2002 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों के संबंध में लागू होगी अथवा नहीं।

2– उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 24 मार्च,2011 के प्रस्तर–3 में की गयी व्यवस्था उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित भर्ती नियमावली,1974) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश,2002 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पदों पर की जाने वाली नियुक्ति के संबंध में लागू नहीं होगी।

3– उपर्युक्त शासनादेश 24 मार्च,2011 को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूडी)
सचिव,वित्त।

संख्या : 63 (1)/XXVII(7)27(8)/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,नैनीताल,उत्तराखण्ड।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
10. सामान्य प्रशासन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
13. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

संख्या 1114 / XXX(2) / 2013-55(08)2002

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

2 अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 10 अक्टूबर, 2013

विषयः–मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित कार्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारण एवं उच्चतर पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के नियम 8(3) में यह प्राविधान है कि इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायेगी, प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्यक पद के प्रति की जायेगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया, समझा जायेगा और वह तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्त पद उपलब्ध न हो जाय।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं कि मृतक आश्रितों की भर्ती नियमावली के प्राविधानों के अनुसार, जहाँ मृतक आश्रितों की नियुक्ति अधिसंख्यक पदों के सापेक्ष की जा रही है, वहाँ ऐसे मृतक आश्रित कार्मिकों को कतिपय विभागों द्वारा संवर्गीय ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के लिए भी पात्रता क्षेत्र में नहीं रखा जा रहा है।

3– इस सम्बन्ध में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली के संगत प्राविधान की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मृतक आश्रित के रूप में अधिसंख्यक पद के सापेक्ष नियुक्त कर्मचारी को उनकी नियुक्ति की तिथि से ही मौलिक रूप से नियुक्त समझा जायेगा तथा उसी तिथि से वे सम्बन्धित संवर्ग में नियुक्त कार्मिक से नीचे वरिष्ठता में रखे जायेंगे एवं तदनुसार ही उन्हें उच्चतर पदों पर पदोन्नति हेतु पात्र होने की दशा में पात्रता क्षेत्र में सम्मिलित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या:827/XXVII(7)/वि0अ0/2011

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:24 मार्च, 2011

विषय:–राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एंव ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकृत के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी सवंर्ग के संबंध में दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल, शासनादेश संख्या:395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के संलग्नक–1 के कालम–2 के अनुसार समूह 'घ' के दिनांक 01–01–2006 से पूर्व वेतनमान कमशः ₹2550–3200, ₹2610–3540, तथा ₹2650–4000, के पदों पर दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वर्तमान वेतन बैण्ड–1–एस0, ₹4440–7400, तथा ग्रेड वेतन कमशः ₹1300/–, ₹1400/– एवं ₹1650/– के स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से वेतन बैण्ड–1 ₹5200–20200 एवं ₹1800/– के ग्रेड वेतन में उच्चीकरण/संशोधन निम्नलिखित शर्तो के अनुसार किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है:–

(i) शासनादेश संख्या:283/XXVII(7)/2010 दिनांक 07 जनवरी,2010 द्वारा समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए लागू की गयी स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से समाप्त हो जाएगी। उक्त शासनादेश के लागू होने के फलस्वरूप समूह 'घ' के जिन कर्मचारियों द्वारा ₹1900/– का ग्रेड वेतन का लाभ ले लिया गया है, उन्हें उक्त ग्रेड पे ₹1900/– वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा।

(ii) समूह 'घ' के ग्रेड पे ₹1300/–, ₹1400/– एवं ₹1650/– के समस्त पदों को समाप्त कर दिया जाएगा, जहां पर ग्रेड पे ₹1800/– के पद कम पड़ते है (कार्यरत पदधारकों की संख्या से) वहां पर उस सीमा तक ₹1300/–, ₹1400/– एवं ₹1650/– के पद ₹1800/– के ग्रेड पे में उच्चीकृत कर दिये जाएगें।

(iii) ₹1800/– की ग्रेड पे पर कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्वतः समाप्त होते जाएंगे अर्थात समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए सम्प्रति उपलब्ध ₹1800/– ग्रेड पे का एकमात्र पद डाईंग कैडर होगा। भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती/नियुक्ति नहीं की जाएगी। समूह 'घ' के कार्य यथा आवश्यकता आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाएंगे।

2– उपर्युक्त शासनादेश संख्या:395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 को केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)

संख्या : 877 (1)/XXVII(7)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव,विधानसभा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड विकास भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
8. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

संख्या: / XXIV–2 / 2014–06(05) / 2008

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 23 जनवरी, 2014

विषयः– विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत महानिदेशालय स्तर से विकास खण्ड स्तर पर पुनर्गठित नवीन ढांचे के अनुसार मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के 10 पद से अधिक संख्या वाले कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारी का पद उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या सेवा–3 (3)/58608/2012–13 दिनांक 13 फरवरी, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत महानिदेशालय स्तर से विकास खण्ड स्तर पर पुनर्गठित नवीन ढांचे के अनुसार मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के 10 पद से अधिक संख्या वाले कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारी का पद उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– शासनादेश संख्या–183/XXX(2) 2010 दिनांक 11 फरवरी, 2010 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या 605/XXIV–2–2010/06(01)/2008 दिनांक 06 जुलाई, 2010 द्वारा एक ही कार्यालय में 10 से अधिक मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के स्वीकृत पदों वाले कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के कुल सृजित पदो मे से एक–एक पद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद पर उच्चीकृत किये जाने का प्राविधान है।

3– उक्त शासनादेशों के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढवाल मण्डल, पौड़ी एवं अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), कुमायूं मण्डल, नैनीताल के कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारी के एक–एक पद (कुल 04 पद) को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद (ग्रेड पे रू0 4800) में उच्चीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

संख्याः (1)/XXIV–2/2014/06(05)/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव–मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/ प्रारम्भिक शिक्षा/अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5– अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
6– प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– शिक्षा अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0 के0 तोमर)
उप सचिव

प्रेषक

निदेशक,
~~विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,~~
देहरादून।

सेवा में,

1– अपर निदेशक,
एस0सी0ई0आर0टी0, नरेन्द्रनगर,
टिहरी गढ़वाल।

2– सचिव,
विद्यालयी शिक्षा परिषद,
रामनगर, नैनीताल।

3– अपर शिक्षा निदेशक,
गढ़वाल मण्ड़ल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्ड़ल, नैनीताल।

4– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक/सेवा–3(4)/ 3376-92 /2012–13 दिनांक 24 अप्रैल, 2012

विषयः– **परिचारकों की रात्रि चौकीदारी के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री सुन्दर सिंह, परिचारक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित याचिका संख्या 13/एस0एस0/2010 सुन्दर सिंह वनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गई, जिसमें उनके द्वारा मा0 न्यायालय से रात्रि चौकीदारी का कार्य न लिए जाने की याचना की गई। उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 24–5–2011 को याची के पक्ष में आदेश पारित किया गया।

उक्त के अनुक्रम में आपको निर्देशित करना है कि मा0 न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 24–5–2011 जो परिचारकों से रात्रि चौकीदार का कार्य न लिए जाने से सम्बन्धित है, का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें, किन्तु कार्यालय/विद्यालय/जनहित एवं छात्र हित में राजकीय संपत्ति की सुरक्षार्थ प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए परिचारकों की सहमति प्राप्त कर अग्रेत्तर व्यवस्था होने तक उनसे रात्रि चौकीदारी के कार्य में सहयोग लिया जा सकता है।

भवदीय

(सी0एस0 ग्वाल)
निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

सुभाष कुमार
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2— समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग—2 देहरादून, दिनांक 17 जनवरी, 2011

विषयः—विकलांग सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित 03 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने हेतु विभिन्न विभागों के अन्तर्गत पदों को चिन्हित किया गया है, जिसके अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को 03 प्रतिशत आरक्षण निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है :—

1— दृष्टिहीनता या कम दृष्टि
2— श्रवणह्रास और
3— चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फालिज) से ग्रस्त

विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति के पश्चात् दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

2— इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि श्रेणी 'ग' तथा 'घ' के विकलांग कार्मिकों की तैनाती / नियुक्ति एवं पदोन्नति तथा वार्षिक स्थानान्तरण के समय तैनाती यथासम्भव उनके गृह जनपद में तथा सुगम स्थान में उनसे विकल्प प्राप्त करके की जाय। **श्रेणी 'क' तथा 'ख' के कार्मिकों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विकलांग कार्मिक से विकल्प प्राप्त कर लिये जाय और उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार ही इच्छित स्थान पर उनकी तैनाती कर दी जाय।**

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या—1905 (1) / XXX / (2), 2011 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2— प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3— आयुक्त गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
4— आयुक्त विकलांगजन, उत्तराखण्ड।
5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6— सचिवालय के समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या 963 /XXX (2)/2011
देहरादून दिनांक 25 जुलाई, 2011

कार्यालय –ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–875/XXVII (7)न0प्रति0/2011 दिनांक 3 मार्च 2011में निर्धारित राज्य स्तरीय त्रिस्तरीय वेतनमान ढांचे के आधार पर आशुलिपिक संवर्ग के निम्नांकित पदनामों में परिवर्तन करके उनके सम्मुख अंकित पदनामों को प्रतिस्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क0सं0	वर्तमान पदनाम	त्रिस्तरीय ढॉचे के अनुसार वेतनमान	प्रतिस्थापित पदनाम
1.	आशुलिपिक	वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2800/–	वैयक्तिक सहायक
2.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200/–	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
3.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4600/–	वैयक्तिक अधिकारी

2– पदनाम परिवर्तन के उक्त निर्णय के फलस्वरूप सम्बन्धित पदधारकों के कार्य की प्रकृति तथा उनके वेतनमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

3– कृपया आशुलिपिक संवर्ग में वर्तमान पदनामों को उपरोक्तानुसार परिवर्तित करते हुए सम्बन्धित सेवा नियमों में तदनुसार परिवर्तन कर लिया जाय।

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या:– 963/XXX (2)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव/अपर सचिव स्वतंत्र प्रभार, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त, कुमायूँ /गढ़वाल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या– 892/XXX(2)/2013 55(42)2004
देहरादून: 13 अगस्त, 2013

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके "उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

"उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1– (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 6 का प्रतिस्थापन — 2. "उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 के नियम 6 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
6. भर्ती का स्रोत– (एक) किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में 70 प्रतिशत पदों पर भर्ती नियम 9 में यथा उपबंधित शैक्षिक और अन्य उपबन्धों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी,	6. भर्ती का स्रोत– (एक) किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में 70 प्रतिशत पदों पर भर्ती नियम 9 में यथा उपबंधित शैक्षिक और अन्य उपबन्धों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी,
(दो) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 25 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, समय–समय पर जारी	(दो) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 25 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, समय–समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों

किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार उस कार्यालय के समूह घ के ऐसे कर्मचारियों में से, 15 प्रतिशत जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी;	के अनुसार उस कार्यालय के समूह घ के ऐसे कर्मचारियों में से, 15 प्रतिशत जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी;
परन्तु यह कि हाईस्कूल उत्तीर्ण श्रेणी के लिए चिन्हित पदों के सापेक्ष पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उन पदों को उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा।	परन्तु यह कि हाईस्कूल उत्तीर्ण श्रेणी के लिए चिन्हित पदों के सापेक्ष पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उन पदों को उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा।
	परन्तु यह और कि चयन वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक के लिये अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 45 प्रतिशत तक की रिक्तियों को उस कार्यालय के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से, 25 प्रतिशत जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 20 प्रतिशत जो इण्टर्मीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा निर्धारित चयन प्रकिया से भरा जा सकता है।
(तीन) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 05 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, उस कार्यालय के वाहन चालकों जो हाईस्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीण हों, में से पदोन्नति द्वारा।	(तीन) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 05 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, उस कार्यालय के वाहन चालकों जो हाईस्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीण हों, में से पदोन्नति द्वारा।
टिप्पणी– लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' एवं वाहन चालक जो 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह 'घ' एवं वाहन चालक से पदोन्नति हेतु, लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए,आरक्षित रिक्तियों पर चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य	**टिप्पणी**– लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' एवं वाहन चालक जो 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह 'घ' एवं वाहन चालक से पदोन्नति हेतु, लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए, आरक्षित रिक्तियों पर चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित

अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा अधिकतम 40 अंक की होगी तथा पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 50 अंकों की होगी। जहां टंकक संवर्ग में भर्ती की जानी हो, वहां उपरोक्त के अतिरिक्त 50 अंकों की टंकण परीक्षा भी ली जायेगी। टंकण परीक्षा में 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति से कम टंकण करने वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे। चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के उपबंध इस नियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति पर लागू नहीं होंगे।

परीक्षा अधिकतम 40 अंक की होगी तथा पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे। चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक पद पर कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये 02 अंक दिये जायेंगे तथा कार्य अनुभव के लिये अधिकतम 50 अंक निर्धारित किये जायेंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।

जहां टंकक संवर्ग में भर्ती की जानी हो, वहां उपरोक्त के अतिरिक्त 50 अंकों की हिन्दी में टंकण परीक्षा भी ली जायेगी। टंकण परीक्षा में 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति से कम टंकण करने वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के उपबंध इस नियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति पर लागू नहीं होंगे।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या– 44 /XXX(2)/2013
देहरादून: 10 जनवरी, 2013

अधिसूचना संख्या 44/XXX(2)/2013–3 (2)/2010, दिनांक 10 जनवरी, 2013 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 100 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग–2 को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
9. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
10. मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कूमायूं मण्डल।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संलग्नकः–यथोक्त।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–44 / XXX(2) / 2013–3(2)2010
देहरादून: 10 जनवरी, 2013

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, "उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011" में संशोधन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013' है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4(3) का संशोधन

2. उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 के नियम 4 के उपनियम (3) में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(3)– मुख्य सहायक– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 11 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	(3)– मुख्य सहायक– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत),
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या-153/XXX(2)/2015–3(2)2010
देहरादून: दिनांक 07 अप्रैल, 2015

अधिसूचना संख्या– 153/XXX(2)/2015–3(2)2010, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 100 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग–2 को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
10. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
11. मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूं मण्डल।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संलग्नक:–यथोक्त।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या- /ऊ2/XXX(2)/2015-3(2)2010
देहरादून: 9 अप्रैल, 2015

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, "उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011" में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015' है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3(ङ) का संशोधन

2. उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 के नियम 3(ङ) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात-

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3(ङ) **"अधीनस्थ पदों"** से कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक तथा प्रशासनिक अधिकारी में से किन्हीं पदों पर की गई सेवा अभिप्रेत है।	3(ङ) **"अधीनस्थ पदों"** से कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी में से किन्हीं पदों पर की गई सेवा अभिप्रेत है।

नियम 4 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा-

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सम्बन्धी अर्हकारी सेवावधि का निर्धारण:–	4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सम्बन्धी अर्हकारी सेवावधि का निर्धारण:–
	4(1) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
4(1) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	4(2) वरिष्ट प्रशासनिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
4(2) प्रशासनिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	4(3) प्रशासनिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
4(3) मुख्य सहायक– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	**4(4) प्रधान सहायक–** मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
4(4) **प्रवर सहायक–** मौलिक रूप से नियुक्त	4(5) **वरिष्ठ सहायक–** मौलिक रूप से नियुक्त

ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

नियम 5 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5. पदनाम परिवर्तन– नियम 2 के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी विभागों में, जहाँ–जहाँ पदनाम, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक/ प्रधान लिपिक/ मुख्य लिपिक–1/प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ–वहाँ पदनाम क्रमशः कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होगा।	5. पदनाम परिवर्तन– नियम 2 के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी विभागों में, जहाँ–जहाँ पदनाम कनिष्ठ सहायक, **प्रवर सहायक, मुख्य सहायक,** प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ–वहाँ पदनाम क्रमशः कनिष्ठ सहायक, **वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक,** प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा।

आज्ञा से,

(पी0एस0 जंगपांगी),
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 170/XXX(2)/2011
देहरादून: दिनांक 10 जून, 2011

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 विषयक अधिसूचना संख्या /XXX(2)/2011 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव श्रीराज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को अधिसूचना की हिन्दी, अंग्रेजी प्रतियों को संलग्न करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 200 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संलग्न: यथोक्त

A.S (उ०शि०)
A.S (ME)
D.S (BE)

(मनीष संघाल)
सचिव
विधायी शिक्षा & H.E
उत्तराखण्ड शासन

7/6/2011
अपर सचिव,
विधायी शिक्षा (माध्यमिक),
उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या / नि०० / XXXX(2) / 2010
देहरादून: 01 जून, 2010

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता की अवधि को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) नियम 2 के अध्यधीन रहते हुए यह नियमावली लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के सिवाय, राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदोन्नति कोटे के पदों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. इस नियमावली द्वारा सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु अर्हता (जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो) और लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हो, आच्छादित होगी, किन्तु इसके उपबन्ध उत्तराखण्ड सचिवालय, राज्य विधान सभा, लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के महानिबन्धक के कार्यालय और उसके नियंत्रण में अधिष्ठान के पद आच्छादित नहीं होंगे।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है,

(ख) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग" से राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में ऐसे लिपिक वर्गीय कर्मचारी अभिप्रेत हैं, जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य सहायक, प्रवर सहायक तथा कनिष्ठ सहायक के पदों पर नियुक्त हैं

(ङ) "अधीनस्थ पदों" से कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक तथा प्रशासनिक अधिकारी में से किन्हीं पदों पर की गई सेवा अभिप्रेत है।

4.(1) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी–

लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सम्बन्धी अर्हकारी सेवावधि का निर्धारण।

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(2) प्रशासनिक अधिकारी–

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(3) मुख्य सहायक–

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 11 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(4) प्रवर सहायक–

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

पदनाम परिवर्तन

5. नियम 2 के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी विभागों में, जहाँ-जहाँ पदनाम, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक/ प्रधान लिपिक/ मुख्य लिपिक-1/ प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ-वहाँ पदनाम क्रमशः कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होगा।

आज्ञा से,

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. /XXX(2)/2011, dated. ,2011 for general information.

Government of Uttarakhand
Karmik Section-2
No. 170 /XXX(2)/2011
Dehradun: Dated 01/6 ,2011

Notification

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating the period of eligibility for promotion to the posts of ministerial grade cadre in services under the State of Uttarakhand.

Determination of Eligibility Period for Promotion to the Posts of Ministerial Grade Cadre in Services under the State of Uttarakhand

Short title and Commencement

1.(1) These rules may be called the Determination of Eligibility Period for Promotion to the posts of Ministerial Grade Cadre in Services under the State of Uttarakhand Rules, 2011.

(2) These Rules shall come into force at once.

(3) Subject to Rule-2 of these rules, except for the posts under the jurisdiction of Public Service Commission, shall apply to the posts of promotion quota of ministerial grade cadre which are within the purview of the powers of the Governor to make rules.

Over riding effect:

2. These rules shall have effect on the qualification for promotion to ministerial grade posts (which require to be filled by promotion) in all subordinate offices under the control of the Government and which are outside the purview of the Public Service

Commission, but provisions of these rules shall not cover the posts of Uttarakhand Secretariat, State Assembly, Lokayukt, Public Service Commission, Office of the Advocate General of High Court and the establishments under its control.

Definitions:

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) **"Constitution"** means the Constitution of India:

(b) **"Governor"** means the Governor of Uttarakhand State;

(c) **"Government"** means the Government of Uttarakhand State;

(d) **"Ministerial grade employees cadre"** means such ministerial grade employees in all subordinate offices under control of the State Government who are appointed to posts of Senior Administrative Officer, Chief Assistant, Senior Assistant and Junior Assistant:

(e) **"Subordinate posts"** means the service rendered on the posts of Junior Assistant, Upper Assistant, Chief Assistant and Administrative Officer.

Determination of qualifying service period for eligibility for promotion to the promotional posts of ministerial grade employees cadre

4. (1) Senior Administrative Officer-

By promotion from amongst the substantively appointed Administrative Officers who have completed minimum 02 years service as such on the first day of the year of recruitment or must have completed minimum 20 years service as subordinate posts, on the basis of seniority subject to the rejection of unfit.

(2) Administrative Officer-

By promotion form amongst the substantively appointed Chief Assistants who have completed minimum 03 years service as such

संख्या: 373/XXVII(7)27(2)/2013

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2— समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0—सा0नि0)अनु0—07 देहरादून:दिनांक: 16 जनवरी, 2013

विषय:— उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के पदनाम एवं वेतनमान संशोधन के संबंध में श्री राज्यपाल निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:—

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	संशोधित पदनाम	संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन
1	2	3		4
1	कनिष्ठ सहायक	₹ 5200—20200 ग्रेड पे ₹1900	कनिष्ठ सहायक	₹5200—20200 ग्रेड पे ₹2000
2	प्रवर सहायक	₹5200—20200 ग्रेड पे ₹2400	वरिष्ठ सहायक	₹5200—20200 ग्रेड पे ₹2800
3	मुख्य सहायक	₹5200—20200 ग्रेड पे ₹2800	प्रधान सहायक	₹9300—34800 ग्रेड पे ₹4200
4	प्रशासनिक अधिकारी	₹9300—34800 ग्रेड पे ₹4200	प्रशासनिक अधिकारी	₹ 9300—34800 ग्रेड पे ₹4600
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	₹9300—34800 ग्रेड पे ₹4600	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	₹9300—34800 ग्रेड पे ₹4800
6	—	—	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	₹15600—39100 ग्रेड पे ₹5400

2— कलेक्ट्रेट, मण्डलायुक्त कार्यालय, तथा प्रदेश के ऐसे विभाग जिनमें विभागाध्यक्ष वेतनमान ₹67000—3 प्रतिशत वेतनवृद्धि की दर—79000 के स्तर के पद हैं, वहां लिपिकीय संवर्ग में पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड ₹15600—39100 एवं ग्रेड वेतन ₹5400 में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पदनाम से पद रखा जायेगा।

3— लिपिक संवर्ग के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं तथा पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की अर्हता के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा पृथक से नियमों में संशोधन किये जायेंगे।

4— उक्तानुसार संशोधित वेतनमान का लाभ दिनांक 01—04—2013 से अनुमन्य होगा।

भवदीया,

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– (1) / xxvii(7)27(2) / 2011 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें–सह–स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड सरकार
कार्मिक अनुभाग
संख्या 264 / XXVI / 2015-16 / 2010
देहरादून : 17 अगस्त 2015

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010" में अग्रेतर संशोधन के दृष्टिगत निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2015 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन

"2. उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 के नियम 4 में एक परन्तुक और जोड़ दिया जायेगा; अर्थात–

"परन्तु, यह भी कि समूह 'ग' सेवा संवर्ग के पद धारकों को पदोन्नति के लिये यथा स्थिति निम्नतर पद या पदों पर पदोन्नति के लिये यथास्थिति परिवीक्षा अवधि को छोड़कर ऐसी विहित न्यूनतम अवधि में 50 प्रतिशत तक यथोचित रूप में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष उनकी अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें वित्त नियन्त्रक तथा विभागाध्यक्ष द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी सदस्य के रूप में हों की संस्तुति पर शिथिलीकरण कर सकेंगे।"